शासकीय स्वशासी महात्मा गॉधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय

इन्दौर

क्रमांक / 7423 / स्था. / वि. / स्व / 2022 इन्दौर, दिनांक 14/5/22

/ / विज्ञप्ति / /

महात्मा गॉधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर की स्वशासी संस्था के अधीन **फोरेन्सिक मेडिसिन विभाग** में **पोस्ट मार्टम से संबंधित कार्य हेतु प्रदर्शक (चिकित्सकीय)** के निम्नानुसार रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाना है, श्रेणीवार पद के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है : –

क्र	पदनाम	कुल रिक्त पदों की संख्या	रोस्टर अनुसार श्रेणीवार पद संख्या				
			UR	OBC	ST	SC	EWS
1	**प्रदर्शक** वेतनमान– 15600–39100+6000 (लेवल 10 न्यूनतम 57700 / –)	04	01	01	01	01	-

नोट :–पदों की संख्या में आवश्यकता होने पर कमी या वृद्धि की जा सकती है।

यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर में दायर पी.आई.एल. क्र. 6553 / 2011 के संदर्भ में रिक्त पदों की पूर्ति की जा रही है।

उक्त पद पर नियुक्ति हेतु पात्र **उम्मीदवारों** से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, आवेदन पत्र कार्य दिवस में जमा करने की **अंतिम तिथि 15.06.2022 को सांय 05.00 बजे** तक है। **विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप एवं शुल्क इत्यादि** की जानकारी चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाईट www.mgmmcindore.in पर उपलब्ध है, आवेदन का प्रारूप उक्त वेबसाईट से डाउनलोड करें ।

आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से **Dean & C.E.O., Government Autonomus M.G.M. Medical college, Indore** (म.प्र.) 452001 के कार्यालय में निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा कराए जा सकते हैं।

आवेदन फॉर्म में लिफाफे पर आवेदित पद का नाम एवं श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करे। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार की तिथि पृथक से संस्था की वेबसाईट के माध्यम से सूचित की जावेगी।

डॉ. संजय दीक्षित
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शास. स्व.महात्मा गॉधी स्मृति. चिकित्सा
महाविद्यालय इन्दौर (म.प्र.)

Scanned by CamScanner

अर्हताएं :–

स. क.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	न्युनतम अर्हताएं	सेवानिवृत्ति की अधिवार्षिकी आयु
1	प्रदर्शक	25 वर्ष	1. चिकित्सा उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से एम.बी.बी.एस. की डिग्री अनिवार्य। 2. गैर चिकित्सीय उम्मीदवारों को संबंधित विषय में एम.एस.सी. स्नातकोत्तर उपाधि होना अनिवार्य। 3. स्वशासी संस्था में कार्यरत इस वर्ग के व्यक्ति को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम.डी. /एम.एस./पी.एच.डी. उपाधि होने पर को सहायक प्राध्यापक के पद हेतु आवेदन करने पर वरियता दी जायेगी।	65 वर्ष

चयनित प्रदर्शकों को फोरेन्सिक मेडिसिन विभाग के अंतर्गत पोस्ट मार्टम से संबंधित कार्य सम्पादित किये जाने होंगे।

नोट :–

1. पदों पर आरक्षण राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार है । आरक्षण का लाभ जाति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा ।

2. चिकित्सक को उसके पद के अनुरूप कर्त्तव्यों का तथा समय–समय पर सौपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।

3. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में वांछित दस्तावेज संलग्न न करने पर अपूर्ण आवेदन पत्र को अमान्य किया जावेगा तथा किसी भी तरह का पत्राचार मान्य नहीं होगा।

4. आवेदक पूर्व से जिस संस्था में कार्यरत है उस संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा चयनित होने की स्थिति में त्याग पत्र स्वीकृति से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

Scanned by CamScanner

6 निरर्हतायें–

6–1 विकृत चित्त वाला होने पर।

6–2 दुश्चरित्र होने पर।

6–3 शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।

6–4 नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा – किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।

6–5 विवाह संबंधी – जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरूष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।

6–6 जिस आवेदक की दो से अधिक संतान हो एव जिसमें से तीसरी संतान का जन्म दि.26.01.2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिये पात्र नही होगें ।

6–7 कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।

6–8 कदाचरण संबंधी – किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

6–9 ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।

महत्वपूर्ण टीप :–यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तो को पूरा करते है। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करे ले ओर अर्हता की समस्त शर्ते पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरूद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।

डॉ. संजय दीक्षित
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शास.स्व. महात्मा गॉधी स्मृति. चिकित्सा
महाविद्यालय इन्दौर

Scanned by CamScanner